



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 406]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 20, 2011/आषाढ़ 29, 1933

No. 406]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 20, 2011/ASADHA 29, 1933

गृह मंत्रालय

(सीमा प्रबंध विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 2011

सा.का.नि. 556(अ).— केन्द्रीय सरकार, साधारण खंड अधिनियम, 1857 (1857 का 10) की धारा 22 के साथ पठित भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2010 (2010 का 31) की धारा 34 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और जहां तक नियम और प्ररूप लेखा परीक्षा और लेखा से संबंधित है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के परामर्श से, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

### अध्याय 1

#### आरंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण नियम, 2011 है।  
(2) ये उस तारीख को प्रवृत्त होंगे जिसको भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2010 (2010 का 31) प्रवृत्त होगा।
2. परिभाषाएं- (1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -  
(क) "अधिनियम" से भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2010 (2010 का 31) अभिप्रेत है;  
(ख) "सदस्य" से प्राधिकरण का सदस्य अभिप्रेत है;  
(ग) "लेखाओं का वार्षिक विवरण" से धारा 25 में निर्दिष्ट लेखाओं का वार्षिक विवरण अभिप्रेत है;  
(घ) "वार्षिक रिपोर्ट" से धारा 26 में निर्दिष्ट रिपोर्ट अभिप्रेत है;  
(ङ) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है।  
(2) उन शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में हैं।

## अध्याय 2

### प्राधिकरण के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा शर्तें

**3. सदस्यों की पदावधि और सेवा शर्तें-** (1) भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण का अध्यक्ष भारत सरकार के अपर सचिव रैंक का होगा और वह उन व्यक्तियों में से चुना जाएगा जो सुरक्षा, परिवहन, उद्योग, वाणिज्य, विधि, वित्त या लोक प्रशासन के क्षेत्र से विशेष ज्ञान और अनुभव रखते हों।

(2) सदस्य (योजना और विकास) तथा सदस्य (वित्त) भारत सरकार के संयुक्त सचिव के रैंक का होगा और सदस्य (योजना और विकास) उन व्यक्तियों में से चुना जाएगा जो योजना और विकास के क्षेत्र में विशेष ज्ञान और अनुभव रखते हों तथा सदस्य (वित्त) उन व्यक्तियों में से चुना जाएगा जो वित्त और वाणिज्य के क्षेत्र में विशेष ज्ञान और अनुभव रखते हों।

(3) अध्यक्ष, सदस्य (योजना और विकास) तथा सदस्य (वित्त) प्राधिकरण के पूर्णकालिक सदस्य होंगे।

(4) धारा 6 के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक पूर्णकालिक सदस्य पद ग्रहण करने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए या साठ वर्ष की अवधि तक, इसमें से जो पूर्वतर हो पद धारण करेगा।

(5) सदस्य, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा कर्मचारों के मान्यता प्राप्त संगठनों का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किए जाएंगे, तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।

(6) सदस्य, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किए जाएंगे, तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।

(7) केन्द्रीय सरकार कृत्य करने के प्रयोजन के लिए तीन वर्ष की अवधि के लिए ऐसे अन्य प्रतिनिधियों को सहयोजित कर सकेगी।

**4. भर्ती का ढंग-** (1) अध्यक्ष, सदस्य (योजना और विकास) तथा सदस्य (वित्त) की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा गृह मंत्रालय के सचिव (सीमा प्रबंध) की अध्यक्षता में खोज सह-चयन समिति द्वारा तैयार किए गए नामों के पैनल में से की जाएगी।

(2) केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित खोज सह-चयन समिति, प्राधिकरण के अध्यक्ष और दो पूर्णकालिक सदस्यों के पद पर नियुक्ति के लिए नामों के पैनल को तैयार करने के लिए निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:-

- (i) सचिव, राजस्व विभाग;
- (ii) सचिव, वाणिज्य विभाग;
- (iii) सलाहकार, योजना आयोग; और
- (iv) विषय विशेषज्ञ के रूप में बाहर से एक सदस्य;

(3) संयुक्त सचिव (सीमा प्रबंध) समिति का संयोजक होगा।



(4) स्रोज सह-चयन समिति अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्यों के चयन के लिए अपनी प्रक्रिया स्वयं विनियमित करेगी।

(5) अध्यक्ष और अन्य पूर्णकालिक सदस्य किसी खुले विज्ञापन के माध्यम से प्रतिनियुक्ति या संविदा के आधार पर चयनित हो सकेंगे।

(6) प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति की दशा में,-

(i) कोई व्यक्ति जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार की सेवा में है, प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त नहीं होगा जब तक कि ऐसा व्यक्ति-

(क) भारत सरकार के अपर सचिव के समतुल्य पद धारण न करता हो ; या

(ख) भारत सरकार के संयुक्त सचिव या उसके समतुल्य पांच वर्ष से अन्वून अवधि के लिए न रहा हो ; और

(ii) कोई व्यक्ति जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार की सेवा में है प्राधिकरण के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त नहीं होगा जब तक कि ऐसा व्यक्ति-

(क) भारत सरकार के संयुक्त सचिव के समतुल्य पद धारण न करता हो ; या

(ख) भारत सरकार के निदेशक या उसके समतुल्य चार वर्ष से अन्वून अवधि के लिए न रहा हो ; और

(7) संविदा के आधार पर नियुक्ति की दशा में पात्रता स्रोज सह-चयन समिति द्वारा अवधारित होगी।

**5. वेतन और भत्ते-** (1) अध्यक्ष को भारत सरकार के अपर सचिव के पद पर अनुज्ञेय वेतन और भत्ते संदेय होंगे।

(2) सदस्य (योजना और विकास) तथा सदस्य (वित्त) को भारत सरकार के संयुक्त सचिव के पद पर अनुज्ञेय वेतन और भत्ते संदेय होंगे।

**6. फीस-** प्रत्येक अन्य सदस्य, जो पूर्णकालिक सदस्य या पदेन सदस्य या किसी राज्य सरकार का कोई प्रतिनिधि नहीं है, प्राधिकरण की प्रत्येक बैठक या प्राधिकरण द्वारा सम्यक् रूप से गठित किसी समिति की बैठक में उपस्थित होता है तो उसे प्रत्येक दिन के लिए फीस के रूप में एकमुश्त रकम के रूप में तीन हजार पांच सौ रुपए से अनधिक, संदेय होगी।

**7. निवास स्थान-** (1) अध्यक्ष और दो अन्य पूर्णकालिक सदस्य प्राधिकरण द्वारा निवास स्थान उपलब्ध कराए जाने को हकदार होंगे जो केन्द्रीय सरकार के समतुल्य प्रास्थिति के अधिकारियों के समान होगा।

(2) प्राधिकरण द्वारा आवास की व्यवस्था किए जाने की दशा में अध्यक्ष या संबंधित सदस्य के वेतन में से मूल वेतन की दस प्रतिशत की कटौती की जाएगी और उसे मकान किराया भत्ता संदत्त नहीं होगा।

(3) अध्यक्ष या किसी अन्य पूर्णकालिक सदस्य को प्राधिकरण द्वारा आवास उपलब्ध न कराए जाने की दशा में यथास्थिति अध्यक्ष और ऐसे अन्य सदस्य को उसके मूल वेतन का तीस प्रतिशत की दर से मकान किराया भत्ता संदत्त होगा।

8. **यानों का उपयोग-** अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्यों द्वारा निजी प्रयोजनों के लिए उपयोग किया गया यान समय-समय पर इस निमित्त केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसरण में विनियमित होगा।

9. **यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ते-** (1) अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्य भारत सरकार के समतुल्य अधिकारियों को यथा अनुज्ञेय समान दर से यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता के हकदार होंगे।

(2) प्रत्येक पदेन सदस्य या राज्य सरकार का कोई प्रतिनिधि उस स्रोत से जिससे ऐसा सदस्य अपना वेतन आहरित करता है, उक्त सरकार के नियमों के अनुकरण में उन्हें अनुज्ञेय दर पर यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता का हकदार होगा।

(3) पदेन सदस्य और संबद्ध राज्य सरकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य प्राधिकरण के बैठक के स्थान पर उनकी पात्रता के अनुसार आवासन के लिए हकदार होंगे यदि ऐसी बैठक प्राधिकरण के मुख्यालय से बाहर आयोजित होती है।

(4) अन्य सदस्यों की दशा में उनके साधारण के निवास के स्थान से प्राधिकरण या इसकी समिति के बैठक के स्थान तक आने जाने का वायुयान यात्रा का मितव्ययी वर्ग का किराया संदेय होगा।

(5) रेल द्वारा वातानुकूलित-1 वर्ग यात्रा, या जहां वायु या, रेल संपर्क विद्यमान नहीं है टैक्सी प्रभार्य अनुज्ञेय होगा और ऐसे सदस्य प्राधिकरण या इसकी समितियों की बैठक के स्थान पर भारत सरकार के संयुक्त सचिव के स्तर के अधिकारियों के लिए पात्र आवास के लिए पात्र भी होंगे।

10. **समाप्ति या त्यागपत्र के लिए सूचना की अवधि-** (1) कोई पूर्णकालिक सदस्य या कोई अंशकालिक सदस्य केन्द्रीय सरकार को तीस दिन से अन्यून लिखित में सूचना देकर अपना पद त्याग कर सकेगा।

(2) केन्द्रीय सरकार,-

(क) यथास्थिति कोई पूर्णकालिक या अंशकालिक सदस्य की नियुक्ति उसे तीन मास से अन्यून सूचना देने के पश्चात् या उसके स्थान पर तीन मास की अवधि के लिए उसके वेतन और भत्ते, यदि कोई हो, के समतुल्य रकम का संदाय करके समाप्त कर सकेगी।

(ख) किसी सदस्य, जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार का कर्मचारी है की नियुक्ति किसी भी समय समाप्त कर सकेगी।

(3) किसी सदस्य की नियुक्ति उसे युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर दिए बिना समाप्त नहीं होगी।

11. किसी पूर्णकालिक या अंशकालिक सदस्य के त्यागपत्र या धारा 6 के अधीन किसी पूर्णकालिक या अंशकालिक सदस्य की पदच्युति से उत्पन्न कोई रिक्ति ऐसी रिक्ति के होने की तारीख से छह मास के अधिक रिक्त नहीं छोड़ी जाएगी।

### अध्याय 3

#### प्राधिकरण द्वारा निधियों के विनिधान की रीति

12. **निधियों के विनिधान की रीति-** प्राधिकरण अपनी निधियों (जिसे अंतर्गत आरक्षित का विनिधान भी है) को-

(क) केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों में; या



(ख) निम्नलिखित के सावधिक निक्षेप में,-

- (i) भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 (1955 का 23) के अधीन गठित भारतीय स्टेट बैंक; या
- (ii) भारतीय स्टेट बैंक (आनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 (1959 का 38) के अधीन गठित किसी आनुषंगिक बैंक; या
- (iii) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) और बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 (1980 का 40) की पहली अनुसूची के स्तंभ (2) में यथा विनिर्दिष्ट कोई तत्स्थानी नए बैंक; या
- (iv) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की दूसरी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट कोई बैंक; या
- (v) कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) में की धारा 4 क में यथा परिभाषित कोई अन्य लोक वित्त संस्था,

ऐसी शर्तें जो, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर विनिर्दिष्ट की जाएं, के अधीन कर सकेंगी।

#### अध्याय 4

#### प्राधिकरण के लेखों की वार्षिक विवरणी

13. लेखों की वार्षिक विवरणी का तैयार किया जाना और उसे प्रस्तुत करना- (1) प्राधिकरण अपने लेखों की वार्षिक विवरणी साधारण वित्त नियम, 2005 के नियम 209 और प्ररूप 1 से 3 में यथा विनिर्दिष्ट तथा अनुसूची 1 से 25, जो इन नियमों से उपाबद्ध लेखों का भाग हैं, के अधीन भारत सरकार के, वित्त मंत्रालय द्वारा अभिकथित वित्तीय विवरणी के रूप विधान में तैयार करेगा जिसके अंतर्गत आय और व्यय के लेखे या लाभ और हानि लेखे, प्राप्तियां और संदाय के लेखे भी हैं, जो पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के वित्तीय परिणामों को प्रदर्शित करेंगे और वे प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित होंगे तथा प्राधिकरण के वित्त प्रमुख या सचिव द्वारा अधिप्रमाणित होंगे, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को प्रत्येक वर्ष की तीस जून से अपश्चात् भेजेगा जो प्राधिकरण के लेखाओं की संपरीक्षा करेंगे और रिपोर्ट देंगे तथा प्राधिकरण लेखों की वार्षिक विवरणी पांच वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिए संरक्षित करेगा :

परंतु केन्द्रीय सरकार कारणों को लेखबद्ध करते हुए और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के परामर्श से लेखों की वार्षिक विवरणी को भेजने की तारीख ऐसी अवधि के लिए विस्तारित कर सकेगी, जो वह आवश्यक समझे।

(2) भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लेखाओं की वार्षिक विवरणी के सत्यापन के पश्चात् भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को लेखों के वार्षिक विवरणी के भेजने की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर वार्षिक रूप से लेखाओं की वार्षिक विवरणी के साथ उसकी संपरीक्षा रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को भेजी जाएगी।

#### अध्याय 5

#### प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट

14. वार्षिक रिपोर्ट का भेजना- (1) प्राधिकरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् तत्काल और छह मास से अपश्चात् वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें उक्त वित्तीय वर्ष के दौरान उसके क्रियाकलापों के विवरण

और ऐसे क्रियाकलापों के विवरण भी होंगे जिनको आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान प्राधिकरण द्वारा किए जाने की संभावना है तथा संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखे जाने के लिए केन्द्रीय सरकार को वार्षिक रिपोर्ट भेजेगा।

(2) प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट का प्ररूप इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप 4 में विनिर्दिष्ट विषय अंतर्विष्ट करेगा।

प्रपत्र I

(नियम-13 का उप नियम (1))

वित्तीय विवरणों का प्रपत्र

भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण

-----को तुलन पत्र

(घनराशि-रूपये)

समग्र/पूँजीगत निधि एवं देयताएं	अनुसूची	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
समग्र/पूँजीगत निधि	1	....	....
आरक्षित एवं अधिशेष	2	....	....
निर्धारित एवं एन्डॉवमेंट निधियां	3	....	....
सुरक्षित ऋण एवं उधार	4	....	....
असुरक्षित ऋण एवं उधार	5	....	....
आस्थगित ऋण देयताएं	6	....	....
चालू देयताएं एवं प्रावधान	7		
<b>कुल</b>		....	....
<b>परिसम्पत्तियाँ</b>		....	....
स्थायी परिसम्पत्तियाँ	8	....	....
निर्धारित/एन्डॉवमेंट निधियों से निवेश	9	....	....
निवेश-अन्य	10	....	....
चालू परिसम्पत्तियाँ, ऋण, अग्रिम, आदि	11	....	....
विविध व्यय			
(बट्टे खाते में नहीं डाली गई अथवा समायोजित नहीं की गई सीमा तक)			
<b>कुल</b>			
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	24	....	....
आकस्मिक देयताएं तथा लेखा संबंधी टिप्पणियां	25	....	....



## प्रपत्र II

(नियम-13 का उप नियम (1) देखें)

वित्तीय विवरणों का प्रपत्र

## भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण

31 मार्च, ----- को समाप्त अवधि वर्ष के लिए आय-व्यय लेखा

(घनराशि-रूपसे)

(क) आय	अनुसूची	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
<b>वित्तीय/सेवा से आय</b>			
अनुदान/सहायता	12	....	....
शुल्क/अंशदान	13	....	....
निवेश से आय (निर्धारित/एंडॉवमेंट संपत्ति में निवेश से आय/निधियों से निधियों में अंतरण)	14	....	....
रायल्टी, प्रकाशन आदि से आय	15	....	....
अर्जित ब्याज	16	....	....
अन्य आय	17	....	....
तैयार माल के स्टॉक में वृद्धि/(कमी) तथा चालू कार्य	18	....	....
	19	....	....
<b>कुल (क)</b>		....	....
<b>(ख) व्यय</b>			
स्थापना व्यय	20	....	....
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि।	21	....	....
अनुदान, सहायता आदि पर व्यय।	22	....	....
ब्याज	23	....	....
घाटा (अनुसूची 8 के अनुरूप वर्ष के अन्त में निवल कुल)			
<b>कुल (ख)</b>		....	....
व्यय की तुलना में आय के अधिक होने पर शेष (क-ख)			
विशेष आरक्षित में अंतरण (प्रत्येक को विनिर्दिष्ट करें)			
सामान्य आरक्षित से /को अंतरण			
आधिक्य/घाटे की स्थिती में कॉर्पस/ पूंजीगत निधि में ले जाया गया शेष			
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां	24		
आकस्मिक देयताएं तथा लेखों पर नोट	25		

## वित्तीय विवरणों का प्रपत्र

## भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण

----- की स्थिति के अनुसार अनुसूचियां जो तुलन पत्र का भाग हैं

(घनराशि-रुपये)

अनुसूची- 1	चालू वर्ष		पूर्व वर्ष	
		....	....	....
<b>समग्र/पूँजीगत निधि :</b>				
वर्ष के आरंभ में यथा शेष				
जोड़ें: समग्र/पूँजीगत निधियों में किया गया अंशदान				
जोड़ें/(घटाएं): आय तथा व्यय लेखे से अंतरित निवल आय/(व्यय) का शेष	....	....	....	....
	....			
<b>वर्ष की समाप्ति पर यथा शेष</b>		....	....	

अनुसूची 2-	चालू वर्ष		पूर्व वर्ष	
	....	....	....	....
<b>आरक्षित एवं अधिशेष :</b>				
<b>1. पूँजीगत आरक्षित :</b>				
द्विगत लेखे के अनुसार	(....)		(....)	
वर्ष के दौरान वृद्धि				....
घटाएं : वर्ष के दौरान कटौतियां	....	....	....	
	....		....	
<b>2. पुनर्मुल्यांकन आरक्षित :</b>				
अंतिम लेखे के अनुसार	(....)	....	(....)	
वर्ष के दौरान वृद्धि				
घटाएं : वर्ष के दौरान कटौतियां	....		....	
	....		....	
<b>3. विशेष आरक्षित :</b>				
अंतिम लेखे के अनुसार	(....)	....	(....)	
वर्ष के दौरान वृद्धि				
घटाएं : वर्ष के दौरान कटौतियां	....		....	
	....		....	
<b>4. सामान्य आरक्षित :</b>				
अंतिम लेखे के अनुसार	(....)		(....)	
वर्ष के दौरान वृद्धि				
घटाएं : वर्ष के दौरान कटौतियां	....		....	
	....		....	
<b>कुल</b>		....		....



## वित्तीय विवरणों का प्रपत्र

## भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण

----- की स्थिति के अनुसार अनुसूचियां जो तुलन पत्र का भाग हैं

(घनराशि-रूपये)

अनुसूची 3-	निधि वार ब्यौरा				कुल योग	
	निधि डब्ल्यू डब्ल्यू	निधि एक्स एक्स	निधि वाई वाई	निधि जैड जैड	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
निर्धारित/एन्डॉवमेंट निधियां						
क) निधियों का अथशेष						
ख) निधियों में वृद्धि: i. दान/अनुदान ii. निधियों पर किये गए निवेश से आय iii. अन्य वृद्धि (प्रकृति निर्दिष्ट करें)						
योग (क+ख)						
ग) निधियों के उद्देश्यों के लिए उपयोग/व्यय i. पूंजीगत व्यय - निर्धारित परिसम्पत्तियां - अन्य  कुल: ii. राजस्व व्यय - वेतन मजदूरी एवं भत्ते आदि. - किराया - अन्य प्रशासनिक खर्च  कुल:						
कुल (ग)						
वर्ष के अन्त में यथा निवल शेष (क+ख-ग)						
टिप्पणियां 1) अनुदानों के साथ, संबद्ध शर्तों पर आधारित संगत शीर्षों के तहत प्रकटीकरण किया जाएगा. 2) केंद्र/राज्य सरकारों से प्राप्त योजनागत निधियों को पृथक निधियों के रूप में दर्शाया जाए तथा इन्हें किसी अन्य निधियों के साथ मिश्रित नहीं किया जाए।						

## वित्तीय विवरणों का प्रपत्र

## भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण

----- की स्थिति के अनुसार अनुसूचियां जो तुलन पत्र का भाग हैं

(घनराशि-रुपये)

अनुसूची 4 –	चालू वर्ष		विगत वर्ष	
<b>सुरक्षित ऋण एवं उधार :</b>				
1. केंद्र सरकार				
2. राज्य सरकार (विनिर्दिष्ट करें)				
3. वित्तीय संस्थाएं अ) सावधि ऋण ब) अर्जित एवं देय ब्याज				
4. बैंक : क) सावधि ऋण - अर्जित एवं देय ब्याज ख) अन्य ऋण (विनिर्दिष्ट करें) - अर्जित एवं देय ब्याज				
5. अन्य संस्थाएं और एजेंसियां				
6. डिबेंचर्स और बांड				
7. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)				
<b>कुल</b>				
नोट : एक वर्ष के अन्दर देय राशि				



## वित्तीय विवरणों का प्रपत्र

## भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण

----- की स्थिति के अनुसार अनुसूचियां जो तुलन पत्र का भाग हैं

(धनराशि-रुपये)

अनुसूची 5 - असुरक्षित ऋण एवं उधार :	चालू वर्ष		पूर्व वर्ष	
1. केंद्र सरकार				
2. राज्य सरकार (विनिर्दिष्ट करें)				
3. वित्तीय संस्थाएं				
4. बैंक :				
क) सावधि ऋण				
ख) अन्य ऋण (विनिर्दिष्ट करें)				
5. अन्य संस्थाएं एवं एजेंसियां				
6. डिबेंचर्स और बांड				
7. सावधि जमा				
8. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)				
<b>कुल</b>				
नोट : एक वर्ष के अन्दर देय राशि				

अनुसूची 6 - आस्थगित ऋण देयताएं :	चालू वर्ष	विगत वर्ष
पूँजीगत उपकरण और अन्य परिसंपत्तियों को गिरवी रखकर प्राप्त की गई राशि		
<b>कुल</b>		
नोट : एक वर्ष के अन्दर देय राशि		

## वित्तीय विवरणों का प्रपत्र

## भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण

----- की स्थिति के अनुसार अनुसूचियां जो तुलन पत्र का भाग हैं

(धनराशि-रुपये)

अनुसूची 7 -	चालू वर्ष		दिगत वर्ष	
<b>वर्तमान देयताएं और प्रावधान</b>				
<b>क) वर्तमान देयताएं</b>				
1) प्राप्त राशियां				
2) विविध ऋणदाता क) सामानों के लिए ख) अन्य				
3) प्राप्त अग्रिम				
4) निम्नलिखित पर अर्जित किन्तु अदेय ब्याज क) सुरक्षित ऋण/उधार ख) असुरक्षित ऋण/उधार				
5) कानूनी देयताएं क) अतिदेय ख) अन्य				
6) अन्य चालू देयताएं				
<b>कुल (क) :</b>				
<b>ख) निम्नलिखित के लिए प्रावधान</b>				
1) कराधान के लिए				
2) शेच्यूटी				
3) अधिवर्षिता/पेंशन				
4) संघयी छुट्टी नकदीकरण				
5) ट्रेड वारंटी/दावे				
6) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)				
<b>कुल (ख)</b>				
<b>कुल (क+ख)</b>				

वित्तीय विवरणों का प्रपत्र  
भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण

----- की स्थिति के अनुसार अनुसूचियां जो तुलन पत्र का भाग हैं

(धनराशि-रुपये)

अनुसूची 8 - अचल परिसम्पत्ति का ब्यौरा	सकल ब्लॉक				ह्रास				निवल ब्लॉक	
	वर्ष के प्रारम्भ में लागत/मूल यांकन	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान कमी	वर्ष के अंत में लागत/मूल यांकन	वर्ष के प्रारम्भ में जैसा था	वर्ष के दौरान और वृद्धि होने पर	वर्ष के दौरान कमी होने पर	वर्ष के अन्त तक कुल	जैसा चालू वर्ष के अन्त में था	पूर्व वर्ष के अंत की स्थिति के अनुसार
(क) स्थायी परिसम्पत्तियां:										
1) भूमि क) फी होल्ड ख) लीज होल्ड										
2) भवन क) फी होल्ड भूमि पर ख) लीज होल्ड भूमि पर ग) फ्लैट/परिसर का स्वामित्व घ) ऐसी भूमि पर बृहद निर्माण जो मालिक की नहीं है।										
3) प्लांट मशीन एवं उपकरण										
4) वाहन										
5) फर्नीचर, एवं फिक्सचर										
6) कार्यालय उपकरण										
7) कम्प्यूटर/पेरीफेरल्स										
8) विद्युत प्रतिष्ठान										
9) पुस्तकालय की पुस्तकें										
10) ट्यूबवेल एवं जलापूर्ति										
11) अन्य अचल सम्पत्तियां										
कुल										
चालू वर्ष										
पूर्व वर्ष										
ख) पूंजीगत कार्य जो प्रगति पर हैं										
कुल										
(टिप्पणी दी जाती है क्योंकि हायर परचेज संबंधी परिसम्पत्तियों की लागत उपर शामिल कर ली गई है)										



## वित्तीय विवरणों का प्रपत्र

## भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण

----- की स्थिति के अनुसार अनुसूचियां जो तुलन पत्र का भाग हैं

(घनराशि-रुपये)

अनुसूची 9 -	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
<u>विनिर्दिष्ट/एनडावमेंट कोष से निम्नलिखित में निवेश</u>		
1) सरकारी प्रतिभूतियाँ		
2) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ		
3) शेयर		
4) डिबेंचर्स एवं बॉड		
5) सहायता एवं संयुक्त उद्यम		
6) अन्य (विनिर्दिष्ट किया जाए)		
<b>कुल</b>		

अनुसूची 10 -	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
<u>अन्य -निवेश</u>		
1) सरकारी प्रतिभूतियाँ		
2) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ		
3) शेयर		
4) डिबेंचर्स एवं बॉड		
5) सहायता एवं संयुक्त उद्यम		
6) अन्य (विनिर्दिष्ट किया जाए)		
<b>कुल</b>		

## वित्तीय विवरणों का प्रपत्र

## भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण

----- की स्थिति के अनुसार अनुसूचियां जो तुलन पत्र का भाग हैं

(घनराशि-रूपये)

अनुसूची II -	चालू वर्ष		पूर्व वर्ष	
<p><u>मौजूदा सम्पत्तियां, ऋण, अग्रिम इत्यादि.</u></p> <p><b>क) मौजूदा सम्पत्तियां :</b></p> <p>1) सम्पत्ति सूची:</p> <p>क) स्टोर्स एवं स्पेयर्स            ख) लूज टूलज            ग) स्टॉक इन ट्रेड</p> <p>निर्मित वस्तुएं            चल रहा कार्य            कच्चा माल</p> <p>2) विविध देनदार:</p> <p>क) छः माह से अधिक अवधि के बकाया ऋण            ख) अन्य</p> <p>3) उपलब्ध रोकड़ बकाया(चैक, ड्राफ्ट तथा इम्प्रेस्ट सहित)</p> <p>4) बैंक बकाया:</p> <p>क) अनुसूचित बैंकों के साथ            - चालू खातों पर            - जमा खातों पर            (न्यूनतम राशि सहित)            - बचत खातों पर</p> <p>ख) गैर-अनुसूचित बैंकों के साथ            - चालू खातों पर            - जमा खातों पर            - बचत खातों पर</p> <p>5) डाक घर बचत खाते</p>				
<b>कुल (क)</b>				

## वित्तीय विवरणों का प्रपत्र

## भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण

----- की स्थिति के अनुसार अनुसूचियां जो तुलन पत्र का भाग हैं

(धनराशि-रूपये)

अनुसूची II -	चालू वर्ष		विगत वर्ष	
वर्तमान परिसम्पत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि.				
(नारी)				
ख) ऋण अग्रिम एवं अन्य परिसम्पत्तियां				
1) ऋण :				
क) स्टॉफ				
ख) इस संस्था की समान गतिविधियों/उद्देश्यों में लगी अन्य संस्था				
ग) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)				
2). नकद अथवा वस्तु रूप में अथवा प्राप्त किए जाने वाले मूल्य के रूप में वसूली योग्य अग्रिम एवं अन्य राशियां :				
क) पूंजीगत लेखों में				
ख) पूर्व-भुगतान				
ग) अन्य				
3 अर्जित आय :-				
क) निर्धारित /इंडावमेंट निधियों से निवेशों पर				
ख) अन्य निवेशों पर				
ग) ऋणों एवं अग्रिमों पर				
घ) अन्य				
(इसमें वसूल न की गई ----- रु. की देय आय शामिल है)				
4. प्राप्ति योग्य दावे :				
कुल (ख)				
कुल (क+ख)				



वित्तीय विवरणों का प्रपत्र  
भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण

----- को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय एवं व्यय के भाग की अनुसूचियां  
(घनराशि-रूपये)

अनुसूची 12 – बिक्री/ सेवाओं से आय	चालू वर्ष	विगत वर्ष		
1) बिक्रियों से आय क) तैयार सामानों की बिक्री ख) कच्ची सामग्री की बिक्री ग) कबाड़ की बिक्री				
2) सेवाओं से आय क) मजदूरी एवं प्रोसेसिंग प्रभार ख) व्यावसायिक/परामर्श सेवाएं ग) एजेंसी कमीशन और दलाली घ) अनुरक्षण सेवाएं (उपकरण/सम्पत्ति) ङ) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)				
<b>कुल</b>				
अनुसूची 13 – अनुदान/सम्पिडी	चालू वर्ष	विगत वर्ष		
(प्राप्त ला-वसूल अनुदान एवं सम्पिडी)				
1) केंद्र सरकार 2) राज्य सरकार 3) सरकारी एजेंसियां 4) संस्थान /कल्याण निकाय 5) अंतर्राष्ट्रीय संगठन 6) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)				
<b>कुल</b>				
नोट -प्रत्येक मद के संबंध में लेखा नीतियों का उल्लेख किया जाए				
अनुसूची 14– शुल्क/अंशदान	चालू वर्ष	विगत वर्ष		
1) प्रवेश शुल्क 2) वार्षिक शुल्क/अंशदान 3) सेमिनार/कार्यक्रम शुल्क 4) परामर्श शुल्क 5) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)				
<b>कुल</b>				
अनुसूची 15 – निवेशों से आय	निर्धारित निधि से निवेश		निवेश - अन्य	
(निधियों में अन्तरित निर्धारित/एन्डोवमेंट निधियों से निवेश पर आय)	चालू वर्ष	विगत वर्ष	चालू वर्ष	विगत वर्ष
1) ब्याज क) सरकारी प्रतिभूतियों पर ख) अन्य बांड/ डिबेंचर				
2) लाभान्श क) शेयरों पर ख) न्यूयुअल फंड प्रतिभूतियों पर				
3) किराया 4) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)				
<b>कुल</b>				
निर्धारित/ एन्डोवमेंट निधियों में अन्तरित				

वित्तीय विवरणों का प्रपत्र

भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण

----- को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय एवं व्यय के भाग की अनुसूचियां

(घनराशि-रुपये)

अनुसूची 16 - रॉयल्टी, प्रकाशन से आय.	चालू वर्ष	दिगत वर्ष
1) रॉयल्टी से आय 2) प्रकाशनों से आय 3) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
<b>कुल</b>		
अनुसूची 17 - अर्जित ब्याज	चालू वर्ष	दिगत वर्ष
1) सावधिक जमाओं पर: क) अनुसूचित बैंकों में ख) नैर-अनुसूचित बैंकों में ग) संस्थाओं में घ) अन्य		
2) बचत खातों पर क) अनुसूचित बैंकों में ख) नैर-अनुसूचित बैंकों में ग) डाकघर बचत खाता घ) अन्य		
3) ऋणों पर क) कर्मचारी/स्टॉफ ख) अन्य		
4) ऋणों एवं अन्य लेनदारियों पर ब्याज		
<b>कुल</b>		
नोट- स्रोत पर वसूले गए कर को दर्शाया जाए		

## वित्तीय विवरणों का प्रपत्र

## भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण

----- को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय एवं व्यय के भाग की अनुसूचियां

(घनराशि-रुपये)

अनुसूची 18 -	चालू वर्ष	दिगत वर्ष
<b>अन्य आय</b>		
1) परिसम्पत्तियों की बिक्री/ निपटान पर लाभ क) निजी स्वामित्व वाली परिसम्पत्तियां ख) अनुदान से अथवा मि: शुल्क प्राप्त परिसम्पत्तियां		
2) निर्यात प्रोत्साहन		
3) विविध सेवाओं के लिए शुल्क		
4) विविध आय		

अनुसूची 19 -	चालू वर्ष	दिगत वर्ष
<b>तैयार माल के स्टॉक में बढत/घटत तथा प्रगति पर कार्य</b>		
क) बलौजिंग स्टॉक - तैयार माल - प्रगति पर कार्य		
ख) कम: ओपनिंग स्टॉक - तैयार माल - प्रगति पर कार्य		
<b>निवल बढत/घटत (क-ख)</b>		

अनुसूची 20 -	चालू वर्ष	दिगत वर्ष
<b>स्थापना व्यय</b>		
(i) वेतन एवं मजदूरी (ii) भत्ते एवं बोनस (iii) भविष्य निधि में योगदान (iv) अन्य निधियों में योगदान (उल्लेख करें) (v) कर्मचारी कल्याण व्यय (vi) कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति तथा सीमांत लाभों पर व्यय (vii) अन्य उल्लेख करें		
<b>कुल</b>		



वित्तीय विवरण का प्रपत्र  
भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण

----- को समाप्त अवधि के लिए आय एवं व्यय के भाग की अनुसूचियां

अनुसूची 21 -	(घनराशि - रुपये)	
	चालू वर्ष	विगत वर्ष
<p><b>अन्य प्रशासनिक व्यय इत्यादि</b></p> <p>क) खरीद ख) मजदूरी एवं प्रोसेसिंग व्यय ग) कार्टेज एंड कैरियेज इन्वाइस घ) विद्युत एवं उर्जा ङ) जल प्रभार च) बीमा छ) मरम्मत एवं रखरखाव ज) उत्पाद शुल्क झ) किराया, प्रभार एवं कर ञ) वाहन प्रचालन एवं रखरखाव ट) डाक शुल्क, दूरभाष एवं संचार प्रभार ठ) प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी ड) यात्रा एवं वाहन व्यय ढ) संगोष्ठी / कार्यशालाओं पर व्यय ण) अंशदान व्यय तं) शुल्क पर व्यय थ) लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक द) अतिव्यय - व्यय ध) व्यावसायिक प्रभार न) खराब एवं संदिग्ध ऋणों / अग्रिमों के लिए प्रावधान प) वसूल न किए जा सकने वाले शेल जो बटटे खाते में डाले गये हैं। फ) पैकिंग प्रभार ब) भाड़ा एवं अग्रेषण व्यय भ) वितरण व्यय म) प्रचार एवं प्रसार य) अन्य (उल्लेख करें)</p>		
कुल योग		

## वित्तीय विवरण का प्रपत्र

## भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण

को समाप्त अवधि के लिए आय एवं व्यय के भाग की अनुसूचियां

		(घनराशि - रुपये)	
		चालू वर्ष	विगत वर्ष
अनुसूची 22 -			
<b>अनुदान, सहायता इत्यादि पर व्यय</b>			
क) संस्थाओं / संगठनों को दिया जाने वाला अनुदान			
ख) संस्थाओं / संगठनों को दी जाने वाली सहायता			
कुल			
टिप्पणी : संस्थाओं के नाम, उनकी गतिविधियां अनुदानों / सहायता की राशि के साथ बताई जाएं !			

		चालू वर्ष	विगत वर्ष
अनुसूची 23 -			
<b>ब्याज</b>			
क) स्थायी ऋणों पर			
ख) अन्य ऋणों पर ( बैंक प्रभारों सहित)			
ग) अन्य (उल्लेख करें)			
कुल			

## वित्तीय विवरणों का प्रपत्र

### भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण

----- को समाप्त वर्ष के लिए अनुसूचियां जो लेखों का भाग हैं

अनुसूची 24—

#### महत्वपूर्ण लेखा नीतियां (निदर्शी)

#### 1. लेखा अभिसमय

वित्तीय विवरण, जब तक कि अन्यथा उल्लेख न किया जाए, एतिहासिक लागत अभिसमय तथा लेखाकरण के प्रोद्भूत तरीके के आधार पर तैयार किए जाते हैं।

#### 2. मालसूची का मूल्यांकन

2.1 भण्डारों तथा अतिरिक्त पुर्जों (मशीन के अतिरिक्त पुर्जों सहित) का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है।

2.2 कच्ची सामग्रियों, अर्द्ध-तैयार सामान तथा तैयार सामान का मूल्यांकन निम्नतर लागत तथा प्राप्तिव्यय निवल मूल्य पर किया जाता है। लागतें भारत और विदेशों पर आधारित होती हैं। तैयार सामान तथा अर्द्ध-तैयार सामान की लागत का निर्धारण सामग्री, मजदूरी तथा संबंधित ऊपरी खर्चों पर गौर करते हुए किया जाता है।

#### 3. निवेश

3.1 “दीर्घ कालिक निवेशों” के रूप में वर्गीकृत निवेश का निर्धारण लागत पर किया जाता है। गिरावट, अस्थायी गिरावट से भिन्न, के लिए प्रावधान इस प्रकार के निवेशों की समाविष्ट लागत में किया जाता है।

3.2 “चालू” निवेशों के रूप में वर्गीकृत निवेश निम्नतर लागत तथा उचित मूल्य में समाविष्ट होते हैं। इस प्रकार के निवेशों के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान प्रत्येक निवेश के लिए अलग से विचार करके किया जाता है, न कि वैश्विक आधार पर।

3.3 लागत में दलाली, अंतरण स्टाम्प जैसे अधिग्रहण व्यय शामिल होते हैं।

#### 4. उत्पाद शुल्क

संस्था द्वारा निर्मित सामान, निर्यात संबंधी सामान को छोड़कर, के संबंध में उत्पाद शुल्क की देयता की गणना विनिर्माण पूरा होने पर की जाती है तथा उत्पाद शुल्क योग्य विनिर्मित सामान के लिए प्रावधान वर्ष की समाप्ति पर किया जाता है।

#### 5. स्थायी परिसम्पत्तियां

5.1 निर्धारित परिसम्पत्तियां आगत भाड़े, शुल्क और कर तथा अधिग्रहण से संबंधित प्रत्यक्ष व्ययों सहित अधिग्रहण की लागत पर बताई जाती हैं। निर्माण संबंधी परियोजनाओं के संबंध में प्रचालन-पूर्व संबंधित व्यय (विशिष्ट परियोजना के पूरा होने से पूर्व इसके लिए ऋणों पर ब्याज सहित) प्रयोग में लाई गई परिसम्पत्तियों के मूल्य का भाग होता है।

5.2 गैर-मौद्रिक अनुदानों के रूप में प्राप्त निर्धारित परिसम्पत्तियों (समग्र निधियों के लिए परिसम्पत्तियों को छोड़कर) की पूंजी की गणना पूंजी रिजर्व में तदनुकूपी केडिट के द्वारा, बताए गए मूल्य पर की जाती है।

#### 6. मूल्य ह्रास

6.1 मूल्य ह्रास की व्यवस्था, निर्धारित परिसम्पत्तियों के अधिग्रहण के लिए विदेशी मुद्रा परिवर्तन संबंधी देयताओं के कारण होने वाले लागत समायोजनों पर मूल्यह्रास को छोड़कर आय-कर अधिनियम, 1968 में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार स्ट्रेट-लाइन तरीके के आधार पर की जाती है, जिसके लिए संबंधित परिसम्पत्तियों की बची अवधि पर ऋणकोष से ऋण दिया जाता है।

6.2 वर्ष के दौरान स्थायी परिसम्पत्तियों में वृद्धि/कटौती के संबंध में मूल्यह्रास पर यथा अनुपात आधार पर विचार किया जाता है।

6.3 5000/- रुपये अथवा इससे कम लागत वाली परिसम्पत्तियों के लिए पूरा प्रावधान किया जाता है।



## वित्तीय विवरणों का प्रपत्र

## भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण

----- को समाप्त अवधि के लिए अनुसूचियां जो लेखों का भाग हैं

अनुसूची 24 –

**लेखा संबंधी विशेष नीतियां (निर्देशां)- जारी**

**7. विविध व्यय**

आस्यगित राजस्व व्यय होने के वर्ष से 5 वर्ष की अवधि के बाद बट्टे आते में डाल दिया जाए।

**8. बिक्री के लिए लेखाकरण**

बिक्री में उत्पाद-शुल्क ड्यूटी शामिल है तथा ये बिक्री विवरणी, कटौती और व्यापार छूट के निवल हैं।

**9. सरकारी अनुदान/सब्सिडी**

- 9.1 परियोजनाओं की स्थापना के लिए पूंजीगत लागत हेतु अंशदान प्रकृति के सरकारी अनुदानों को पूंजीगत रिजर्व माना जाएगा।
- 9.2 अधिग्रहीत विशिष्ट निर्धारित परिसंपत्तियों से संबंधित अनुदानों को संबंधित परिसंपत्तियों की लागत से कटौती के रूप में दर्शाया गया है।
- 9.3 सरकारी अनुदानों/ सब्सिडी को वसूली आधार पर गणना की जाती है।

**10. विदेशी मुद्रा लेन-देन**

- 10.1 विदेशी मुद्रा में किए गए लेन-देन की गणना लेन-देन की तारीख को विद्यमान विनिमय दर के आधार पर की जाती है।
- 10.2 वर्तमान परिसंपत्तियों, विदेशी मुद्रा ऋणों और वर्तमान देयताओं को वर्ष के अन्त में विद्यमान विनिमय दर पर परिवर्तित किया जाता है और यदि विदेशी मुद्रा देयता, निर्धारित परिसंपत्तियों से संबंधित हो तो प्राप्त हुए लाभ/हानि को नियत परिसंपत्तियों में समायोजित कर दिया जाता है और अन्य मामलों में इसे राजस्व समझा जाता है।

**11. पट्टा**

पट्टा संबंधी किराए का व्यय, पट्टे संबंधी शर्तों के संदर्भ में किया जाता है।

**12. सेवानिवृत्ति लाभ**

- 12.1 वार्षिकी मूल्य निर्धारण के आधार पर कर्मचारियों की मृत्यु/ सेवानिवृत्ति पर भुगतान योग्य ग्रेच्युटी संबंधी देयता
- 12.2 यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष के अन्त की स्थिति के अनुसार कर्मचारी लाभ प्राप्त करने के हकदार होते हैं, कर्मचारियों के संघय छुट्टी नकदीकरण लाभ संबंधी प्रावधान प्राप्त किए जाते हैं तथा उनकी गणना की जाती है।

वित्तीय विवरणों का प्रपत्र

भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण

----- को समाप्त अवधि के लिए अनुसूचियां जो लेखों का भाग हैं

अनुसूची 25 -

**आकस्मिक देयताएं और लेखों पर टिप्पणियां (निदेशों)**

**1. आकस्मिक देयताएं**

- 1.1 संस्था पर किए गए दावे जिन्हें ऋणों के रूप में नहीं माना गया - -----रुपये (पिछले वर्ष-----रुपये)
- 1.2 निम्नलिखित के संबंध में :  
संस्था द्वारा/की ओर से दी गई बैंक गारंटी - -----रुपये ( पिछले वर्ष-----रुपये)  
संस्था की ओर से बैंक द्वारा खोले गए साख पत्र ----- रुपये (पिछले वर्ष-----रुपये)  
बैंकों में बट्टा काटे गए बिल - -----रुपये ( पिछले वर्ष-----रुपये)
- 1.3 निम्नलिखित के संबंध में विवादित मांगे:  
आय-कर ----- रुपये ( पिछले वर्ष-----रुपये)  
बिक्री-कर ----- रुपये ( पिछले वर्ष-----रुपये)  
नगरपालिका कर ----- रुपये ( पिछले वर्ष-----रुपये)
- 1.4 आदेशों को लागू न किए जाने के लिए पक्षकारों से प्राप्त दावों, जिनका संस्था द्वारा विरोध किया गया हो, के संबंध में - ----- रुपये ( पिछले वर्ष-----रुपये)

**2. पूंजीगत प्रतिबद्धताएं**

पूंजीगत लेखा पर कार्यान्वित किए जाने हेतु शेष और जिनका प्रवधान नहीं किया गया है, संविदाओं की अनुमानित कीमत (निवल अग्रिम) ----- रुपये (पिछले वर्ष -----रुपये)

**3. पट्टा संबंधी बाध्यताएं**

प्लॉट और मशीनरी के लिए वित्त पट्टा प्रबन्धों के अंतर्गत किरायों की भावी बाध्यताओं की राशि - -----रुपये (पिछले वर्ष ----- रुपये)

**4. वर्तमान परिसम्पत्तियां, ऋण और अग्रिम**

प्रबंध समिति की राय में, चालू परिसम्पत्तियों, ऋणों और अग्रिमों का मूल्य व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया में होने वाली वसूली पर आधारित होता है जो कम से कम तुलन पत्र में दर्शायी गई कुल राशि के बराबर होता है।

**5. कराधान**

आय-कर अधिनियम 1961 के अन्तर्गत कर-योग्य आय होने को ध्यान में रखते हुए, आय कर के लिए कोई प्रावधान आवश्यक नहीं समझा गया है।

## वित्तीय विवरणों का प्रपत्र

## भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण

----- को समाप्त अवधि के लिए अनुसूचियां जो लेखों का भाग हैं

अनुसूची 25 -

आकस्मिक देयताएं तथा लेखों संबंधी टिप्पणियां (निदेशों) - जारी

(घनराशि -  
रुपये)  
विगत वर्ष

6. विदेशी मुद्रा लेन-देन

चालू वर्ष

6.1 सी. आई. एफ. आधार पर परिकल्पित आयातित वस्तुओं का मूल्य :

- परिष्कृत वस्तुओं की खरीद
- कच्चा माल एवं घटक ( मार्गस्थ सहित)
- पूंजीगत वस्तुएं
- सामान, कल पुर्जे एवं उपभोग्य वस्तुएं

6.2 विदेशी मुद्रा में व्यय:

क) यात्रा

ख) विदेशी मुद्रा में प्रेषित रुपये एवं वित्तीय संस्थानों/ बैंकों को ब्याज का भुगतान

ग) अन्य व्यय:

- बिक्री पर कमीशन
- विधिक एवं व्यावसायिक खर्च
- विविध खर्च

6.3 अर्जन:

एफ ओ बी आधार पर निर्यात-वस्तुओं का मूल्य

6.4 लेखा परीक्षकों के लिए पारिश्रमिक:

लेखा परीक्षकों के रूप में

- कराधान संबंधी मामले
- प्रबंधन सेवाओं के लिए
- प्रमाणन के लिए
- अन्य

7. जहाँ आवश्यक हुआ, वहाँ गतवर्ष के तदनुसूची आंकड़ों को पुनः वर्गीकृत/ पुनः व्यवस्थित किया गया है।

8. 1 से 25 तक की सूचियां संलग्न की जाती हैं जो यथा -----को तुलन - पत्र तथा उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखों के अभिन्न हिस्से का निरूपण करती हैं।

प्रपत्र III  
(नियम-13 का उप नियम (1))

वित्तीय विवरणों का प्रपत्र  
भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण

अंत होने वाले वर्ष पर प्राप्तियां एवं भुगतान

(घंनराशि - रुपये)

प्राप्तियां	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष	भुगतान	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
<p>I. प्रारम्भिक शेष क) मौजूदा नकदी ख) बैंक शेष i) चालू खाते में ii) जमा खाते में iii) बचत खाता</p> <p>II. प्राप्त अनुदान क) भारत सरकार से ख) राज्य सरकार से ग) अन्य स्रोतों से (विवरण (पूँजी एवं राजस्व के लिए अनुदान व्यय को अलग से दिखाएं)</p> <p>III. निवेश पर निम्न से आय क) उद्दिष्ट/ एनडॉउमेंट कोष से ख) खुद का कोष ( निवेश - अन्य)</p> <p>IV. प्राप्त ब्याज क) बैंक जमाओं पर ख) ऋण, अग्रिम इत्यादि।</p> <p>V. अन्य आय ( उल्लेख करें)</p> <p>VI. ऋण से प्राप्त राशि</p> <p>VII. कोई अन्य प्राप्तियां (विवरण दें)</p>			<p>I. व्यय क) स्थापना व्यय (अनुसूची 20 के समरूप) ख) प्रशासनिक व्यय (अनुसूची 21 के समरूप)</p> <p>II. विभिन्न परियोजनाओं के लिए कोष से भुगतान राशि (कोष अथवा परियोजना का नाम, प्रत्येक परियोजना के लिए किए गए भुगतानों के साथ दर्शाया जाना चाहिए।)</p> <p>III. निवेश एवं किए गए जमा क) उद्दिष्ट/एनडॉउमेंट कोष से ख) खुद के कोष से (निवेश-अन्य)</p> <p>IV. जड़ परिसम्पत्तियों तथा कार्यप्रगति वाली पूंजी पर व्यय क) जड़ परिसम्पत्तियों की खरीद ख) कार्य प्रगति पर पूंजी पर व्यय</p> <p>V. आधिक्य राशि/ऋण की वापसी क) भारत सरकार को ख) राज्य सरकार को ग) कोष के अन्य प्रदाताओं को</p> <p>VI. वित्तीय प्रभार (ब्याज)</p> <p>VII. अन्य भुगतान (उल्लेख करें)</p> <p>VIII. अंतिम शेष क) मौजूद नकदी ख) बैंक शेष i) चालू खातों में ii) जमा खातों में iii) बचत खातों में</p>		
कुल					



## प्रपत्र IV

(नियम 14 का उप नियम (2) देखें)

## भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण

- (1) वर्ष के दौरान वित्तीय परिणामों का सारांश।
- (2) पूंजीगत ढांचे, दीर्घावधि ऋणों तथा अन्य महत्वपूर्ण मदों में परिवर्तन।
- (3) नीति तथा प्रमुख घटनाओं, जिन्होंने वर्ष के दौरान प्राधिकरण के लाभ को प्रभावित किया, में महत्वपूर्ण परिवर्तन।
- (4) प्राधिकरण के कार्यों तथा लाभ में सुधार करने के लिए किए गए उपाय।
- (5) लक्ष्यों के संदर्भ में अनुमोदित योजनाओं के निष्पादन की प्रगति।
- (6) नई परियोजनाएं अथवा विस्तार योजनाएं, जिन पर उनके लाभों सहित विचार किया गया है, वित्तीय ब्रिद्धितार्थ तथा निष्पादन के लिए कार्यक्रम।
- (7) वित्तीय वर्ष के दौरान गतिविधियों तथा ऐसी गतिविधियों, जिन्हें आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान किया जाना है, का लेखा जोखा।
- (8) महत्वपूर्ण क्षवसर अथवा घटनाएं।
- (9) प्राधिकरण के अध्यक्ष अथवा सदस्यों में परिवर्तन।
- (10) कर्मचारी - नियोजन संबंध, हड़तालें इत्यादि।
- (11) कल्याणकारी गतिविधियां, हाऊसिंग कॉलोनी, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं इत्यादि।
- (12) सांख्यिकी अथवा ग्राफ।
- (13) विदेशी विनियम प्राप्ति तथा राजस्व एवं पूंजीगत मदों के लिए पृथक-पृथक व्यय।

[फा. सं. 13/1/2010-बीएडीपी (पार्ट-1)]

के. के. मित्तल, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF HOME AFFAIRS**  
**(Department of Border Management)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th July, 2011

**G.S.R. 556(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 34 of the Land Ports Authority of India Act, 2010 (31 of 2010), read with section 22 of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897) and in so far as the rules and form relating to audit and accounts in consultation with the Comptroller and Auditor General of India, the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

**CHAPTER I**

**PRELIMINARY**

**1. Short title and commencement.** - (1) These rules may be called the **Land Ports Authority of India Rules, 2011**.

(2) They shall come into force on the date on which the Land Ports Authority of India Act, 2010 (31 of 2010) shall come into force.

**2. Definitions.** - (1) In these rules, unless the context otherwise requires, -

- (a) "Act" means the Land Ports Authority of India Act, 2010 (31 of 2010);
- (b) "Member" means the member of the Authority;
- (c) "annual statement of accounts" means the annual statement of accounts referred to in section 25;
- (d) "annual report" means the report referred to in section 26;
- (e) "section" means the section of the Act.

(2) Words and expressions used herein and not defined, but defined in the Act shall have the same meaning respectively as assigned to them in the Act.

## CHAPTER II

### CONDITIONS OF SERVICE OF THE CHAIRPERSON AND OTHER MEMBERS OF THE AUTHORITY

3. **Terms of office and conditions of service of the Members.** - (1) The Chairperson of the Land Ports Authority of India shall be of the rank of Additional Secretary to the Government of India and shall be chosen from amongst persons who have special knowledge and experience in the field of security, transport, industry, commerce, law, finance or public administration.

(2) The Member (Planning and Development) and Member (Finance) shall be of the level of Joint Secretary to the Government of India and the Member (Planning and Development) shall be chosen from amongst persons who have special knowledge and experience in the field of Planning and Development and the Member (Finance) shall be chosen from amongst persons who have special knowledge and experience in the field of finance and commerce.

(3) The Chairperson, Member (Planning and Development) and Member (Finance) shall be whole-time Members of the Authority.

(4) Subject to the provision of section 6, every whole-time Member shall hold office for a period of five years from the date on which he assumes office or till he attains the age of sixty years, whichever is earlier.

(5) The Member who shall be appointed by the Central Government to represent the recognised bodies of workers shall hold office for a period of three years.

(6) The Member who shall be appointed by the Central Government to represent the traders shall hold office for a period of three years.

(7) The Central Government may co-opt such other representatives for functional purposes for period of three years.

4. **Mode of Recruitment.** - (1) The Chairperson, Member (Planning and Development) and Member (Finance) shall be appointed by the Central Government from amongst a panel of names to be prepared by a Search-cum-Selection Committee headed by the Secretary (Border Management) in the Ministry of Home Affairs.

(2) The Search-cum-Selection Committee, constituted by the Central Government for preparation of the panel of names for appointment to the office of the Chairperson and two whole-time Members of the Authority shall consist of -

- (i) Secretary, Department of Revenue;
- (ii) Secretary, Department of Commerce;
- (iii) Advisor, Planning Commission; and
- (iv) One Member from outside as a subject expert.



- (3) The Joint Secretary (Border Management) shall be the convener of the Committee.
- (4) Search-cum-Selection Committee shall regulate its own procedure for selecting the Chairperson and the other whole-time Members.
- (5) The Chairperson and other whole-time Members may be selected on deputation or contract basis through an open advertisement.
- (6) In case the appointment is on deputation basis, -
- (i) a person who is in the service of the Government of India or of a State Government shall not be appointed as the Chairperson of the Authority unless such person has held-
- (A) a post equivalent to that of Additional Secretary to the Government of India; or
- (B) Joint Secretary to the Government of India or equivalent for a period of not less than five years; and
- (ii) a person who is in the service of Government of India or of a State Government shall not be appointed as whole time Member of the Authority unless such person has held-
- (A) a post equivalent to the Joint Secretary to the Government of India; or
- (B) Director to the Government of India or equivalent for a period of not less than four years.
- (4) In case the appointment is on contract basis, the eligibility shall be determined by the Search-cum-Selection Committee:
- 5. Salary and allowances.** - (1) The Chairperson shall be paid salary and allowances as admissible to the post of Additional Secretary to the Government of India.
- (2) The Member (Planning and Development) and the Member (Finance) shall be paid salary and allowances as admissible to the post of Joint Secretary to the Government of India.
- 6. Fee.** - Every other Member, who is not a whole-time Member or an ex-officio Member or a representative of a State Government, shall be paid a lump sum amount not exceeding Rs. 3500/- as fee for each day he attends the meetings of the Authority or of any Committee duly constituted by the Authority.
- 7. Residential accommodation.** - (1) The Chairperson and the other two whole-time Members shall be entitled to residential accommodation to be provided by the Authority which would be at par with the Officers of equivalent status in the Central Government.



(2) In case of accommodation is arranged by the Authority ten percent of the basic pay shall be deducted from the salary of the Chairperson, or Member concerned and no house rent allowance shall be paid to him.

(3) In case accommodation is not arranged by the Authority to the Chairperson or to any other whole-time Member, the Chairperson and such other Member, as the case may be, shall be paid house rent allowance at the rate of thirty per cent of his basic pay.

**8. Use of vehicles.** - The vehicle used by the Chairperson and the whole-time Members for private purposes shall be regulated in accordance with the instructions issued by the Central Government in this regard from time to time.

**9. Travelling allowance and daily allowances.** - (1) The Chairperson and whole time Members shall be entitled to travelling allowance and daily allowance at the same rates as is applicable to the equivalent officers of the Government of India.

(2) Every *ex-officio* Member or a representative of a State Government shall be entitled to travelling allowance and daily allowance from the source from which such member draws his salary at the rates admissible to him according to the rules of that Government.

(3) The *ex-officio* Members and Members representing the States Governments concerned shall be entitled for accommodation according to their eligibility at the meeting place of the authority if such meeting is held outside the headquarter of the authority.

(4) In case of other Members, economy class air travel from and to his or her ordinary place of residence and the place of the meeting of the Authority or its Committee, shall be payable.

(5) Travel in Air Conditioned-I class by train or taxi charges where air or train connectivity is not existent shall be admissible and such Members shall also be eligible for accommodation as eligible for Joint Secretary level officers of the Government of India at the place of meeting of the Authority or its Committee, as the case may be.

**10. Period of notice for termination or resignation.**— (1) A whole-time member or a part-time member may, by giving notice in writing of not less than thirty days to the Central Government, resign his office.

(2) The Central Government may terminate, -

(a) the appointment of a whole-time Member or part-time member, as the case may be, after giving him a notice of not less than three months, or in lieu thereof, on payment of an amount equal to his salary and allowance, if any, for a period of three months;

(b) the appointment of any Member who is a servant of the Central Government or the State Government at any time.

(3) The appointment of a Member shall not be terminated without giving him a reasonable opportunity of being heard.

11. The vacancy arising out of the resignation of any whole time Member or part-time Member or by way of removal of any whole-time Member or part-time Member under section 6, shall not be left unfilled for more than six months from the date of occurrence of vacancy.

### CHAPTER III

#### MANNER OF INVESTMENT OF FUNDS BY AUTHORITY

12. Manner of investment of Funds. – The Authority may invest its funds (including any reserve fund) -

- (a) in the securities of the Central Government; or
- (b) in fixed deposits with, –
  - (i) the State Bank of India constituted under the State Bank of India Act, 1955(23 of 1955); or
  - (ii) any subsidiary bank constituted under the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959 (38 of 1959); or
  - (iii) any corresponding new bank as specified in column 2 of the First Schedule to the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970) and the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (40 of 1980); or
  - (iv) any bank as specified in the Second Schedule of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934); or
  - (v) any other public financial institution as defined in Section 4-A of the Companies Act, 1956 (1 of 1956),

subject to such conditions as may, from time to time, be specified by the Central Government.



## CHAPTER IV

### ANNUAL STATEMENT OF ACCOUNTS OF THE AUTHORITY

13. Preparation and submission of Annual Statement of Accounts. - (1) The Authority shall prepare its Annual Statement of Accounts including the income and expenditure accounts or profit and loss account, receipts and payment accounts and balance sheet in the format of the financial statements laid down by the Government of India in the Ministry of Finance under rule 209 of the General Financial Rules, 2005 and as specified in Forms I to III and schedules 1 to 25 which form part of the accounts appended to these Rules, showing the financial results of the previous financial year and submit the same, duly approved by the authority and authenticated by the Financial Head or Secretary in the authority to the Comptroller and Auditor General of India, not later than the 30<sup>th</sup> June of every year who shall audit the accounts of the authority and report thereon and the authority shall preserve the annual statement of account for a minimum period of five year:

Provided that the Central Government may, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Comptroller and Auditor General of India, extend the date of submission of the Annual Statement of Accounts by such period as it may deem necessary.

(2) After certification of the Annual Statement of Accounts by the Comptroller and Auditor General of India or any other person authorised by him in this behalf, the Annual Statement of Accounts together with the Audit report thereon, shall be forwarded annually to the Central Government within a period of three months from the date of submission of the Annual Statement of Accounts to the Comptroller and Auditor General of India.

## CHAPTER V

### ANNUAL REPORT OF THE AUTHORITY

14. Submission of Annual Report. - (1) The Authority shall prepare the Annual Report immediately, and not later than six months, after the end of each financial year giving an account of its activities during that financial year and also giving an account of the activities which are likely to be undertaken by the Authority during the next financial year and forward the Annual Report to the Central Government for being laid before each House of Parliament.

(2) The form of the Annual Report of the Authority shall contain the matters specified in the Form IV appended to these Rules.

**FORM I**  
(See sub-rule (1) of rule 13)

**FORM OF FINANCIAL STATEMENTS**  
**THE LAND PORTS AUTHORITY OF INDIA**

**BALANCE SHEET AS AT \_\_\_\_\_**

(Amount- Rs)

<b><u>CORPUS/CAPITAL FUND AND LIABILITIES</u></b>	Schedule	Current year	Previous Year
CORPUS/CAPITAL FUND	1	....	....
RESERVES AND SURPLUS	2	....	....
EARMARAKED/ENDOWMENT FUNDS	3	....	....
SECURED LOANS AND BORROWINGS	4	....	....
UNSECURED LOANS AND BORROWINGS	5	....	....
DEFERRED CREDIT LIABILITIES	6	....	....
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS	7	....	....
<b>TOTAL</b>		....	....
<b><u>ASSETS</u></b>		....	....
FIXED ASSETS	8	....	....
INVESTMENTS-FROM EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS	9	....	....
INVESTMENTS-OTHERS	10	....	....
CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES ETC.	11	....	....
MISCELLANEOUS EXPENDITURE (to the extent not written off or adjusted)			
<b>TOTAL</b>			
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES	24	....	....
CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS	25	....	....



**FORM II**  
(See sub-rule (1) of rule 13)

**FORM OF FINANCIAL STATEMENTS**  
**THE LAND PORTS AUTHORITY OF INDIA**

**INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE PERIOD/YEAR ENDING 31<sup>ST</sup> MARCH, \_\_\_\_\_.**  
(Amount- Rs)

<b>(A) INCOME</b>	Schedule	Current year	Previous Year
Income from Sales/Service	12	....	....
Grants/Subsidies	13	....	....
Fees/Subscriptions	14	....	....
Income from Investments (Income on Invest. From earmarked/endow. Funds transferred to funds)	15	....	....
Income from Royalty, Publication etc.	16	....	....
Interest Earned	17	....	....
Other Income	18	....	....
Increase/(decrease) in stock of Finished goods and works-in-progress	19	....	....
<b>TOTAL (A)</b>		....	....
<b>(B) EXPENDITURE</b>			
Establishment Expenses	20	....	....
Other Administrative Expenses etc.	21	....	....
Expenditure on Grants, Subsidies etc.	22	....	....
Interest	23	....	....
Depreciation (Net Total at the year-end-corresponding to Schedule 8)			
<b>TOTAL(B)</b>		....	....
<b>Balance being excess of income over Expenditure (A – B)</b>			
Transfer to Special Reserve (Specify each)			
Transfer to/from General Reserve.			
<b>BALANCE BEING SURPLUS/(DEFICIT) CARRIED TO CORPUS/CAPITAL FUND</b>			
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES	24		
CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS	25		

## FORM OF FINANCIAL STATEMENTS

## THE LAND PORTS AUTHORITY OF INDIA

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT -----

(Amount- Rs)

SCHEDULE- 1	Current year		Previous Year	
		....	....	....
<b><u>CORPUS/CAPITAL FUND :</u></b>				
Balance as at the beginning of the year				
Add : Contributions towards Corpus/Capital Funds				
Add/ (Deduct) : Balance of net income/ (expenditure) transferred from the Income and Expenditure Account	....	....	....	....
	....			
<b>BALANCE AS AT THE YEAR -END</b>		....	....	

SCHEDULE 2-	Current Year		Previous Year	
		....	....	....
<b><u>RESERVES AND SURPLUS :</u></b>	....		....	....
<b>1. <u>Capital Reserve :</u></b>	....	....	....	
As per last Account	(....)		(....)	
Addition during the year				....
Less : Deductions during the year	....	....	....	
<b>2. <u>Revaluation Reserve :</u></b>	....		....	....
As per last Account	(....)	....	(....)	
Addition during the year				
Less : Deductions during the year	....		....	
<b>3. <u>Special Reserve :</u></b>	....		....	....
As per last Account	(....)	....	(....)	
Addition during the year				
Less : Deductions during the year				
<b>4. <u>General Reserve :</u></b>	....		....	
As per last Account	....		....	
Addition during the year	(....)		(....)	
Less : Deductions during the year				
<b>TOTAL</b>		....		...

FORM OF FINANCIAL STATEMENTS  
THE LAND PORTS AUTHORITY OF INDIA  
SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT -----

(Amount – Rs)

SCHEDULE 3- <u>EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS</u>	FUND-WISE BREAK UP				TOTALS	
	Fund WW	Fund XX	Fund YY	Fund ZZ	Current Year	Previous Year
a) <u>Opening balance of the funds</u>						
b) <u>Additions to the Funds:</u>						
i. Donations/grants						
ii. Income from Investments made on account of funds						
iii. Other additions(specify nature)						
<b>TOTAL (a + b)</b>						
c) <u>Utilisation/Expenditure towards objectives of funds</u>						
i. <u>Capital Expenditure</u>						
- Fixed Assets						
- Others						
<u>Total:</u>						
ii. <u>Revenue Expenditure</u>						
-Salaries, Wages and allowances etc.						
- Rent						
- Other Administrative expenses						
<u>Total:</u>						
<b>Total (c)</b>						
<b><u>NET BALANCE AS AT THE YEAR-END (a + b - c)</u></b>						
Notes						
1) Disclosures shall be made under relevant heads based on conditions attaching to the grants.						
2) Plan Funds received from the Central/State Governments are to be shown as separate Funds and not to be mixed up with any other Funds.						

## FORM OF FINANCIAL STATEMENTS

## THE LAND PORTS AUTHORITY OF INDIA

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT -----

(Amount – Rs)

SCHEDULE 4 –	Current Year		Previous Year	
<b><u>SECURED LOANS AND BORROWINGS:</u></b>				
<b>1. Central Government</b>				
<b>2. State Government (Specify)</b>				
<b>3. Financial Institutions</b>				
a) Term Loans				
b) Interest accrued and due				
<b>4. Banks:</b>				
a) Term Loans				
- Interest accrued and due				
b) Other Loans (Specify)				
- Interest accrued and due				
<b>5. Other Institutions and Agencies</b>				
<b>6. Debentures and Bonds</b>				
<b>7. Others (Specify)</b>				
<b>TOTAL</b>				
<b>Note :</b> Amounts due within one year				



FORM OF FINANCIAL STATEMENTS  
THE LAND PORTS AUTHORITY OF INDIA

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT -----

(Amount – Rs)

SCHEDULE 5 –	Current year	Previous Year
<b><u>UNSECURED LOANS BORROWINGS</u></b>		
1. Central Government		
2. State Government (Specify)		
3. Financial Institutions		
4. Banks:		
a) Term Loans		
b) Other Loans (Specify)		
5. Other Institutions and Agencies		
6. Debentures and Bonds		
7. Fixed Deposits		
8. Other (Specify)		
<b>TOTAL</b>		
<b>Note :</b> Amounts due within one year		

SCHEDULE 6 –	Current year	Previous Year
<b><u>DEFERRED CREDIT LIABILITIES :</u></b>		
Acceptances secured by hypothecation of capital equipment and other assets		
Other		
<b>TOTAL</b>		
<b>Note :</b> Amounts due within one year		

## FORM OF FINANCIAL STATEMENTS

## THE LAND PORTS AUTHORITY OF INDIA

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT -----

SCHEDULE 7 –	(Amount – Rs)			
	Current Year		Previous Year	
<b><u>CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS</u></b>				
<b>A. <u>CURRENT LIABILITIES</u></b>				
1. Acceptances				
2. Sundry Creditors:				
a) For Goods				
b) Other				
3. Advances Received				
4. Interest accrued but not due on:				
a) Secured Loans / borrowings				
b) Unsecured Loans/borrowings				
5. Statutory Liabilities:				
a) Overdue				
b) Others				
6. Other current Liabilities				
<b>TOTAL (A):</b>				
<b>B. <u>PROVISIONS</u></b>				
1. For Taxation				
2. Gratuity				
3. Superannuation/Pension				
4. Accumulated Leave Encashment				
5. Trade Warranties/Claims				
6. Other (Specify)				
<b>TOTAL (B)</b>				
<b>TOTAL (A + B)</b>				

FORM OF FINANCIAL STATEMENTS  
THE LAND PORTS AUTHORITY OF INDIA

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT -----

(Amount - Rs)

SCHEDULES 8 - <b>FIXED ASSETS</b> <b>DESCRIPTION</b>										
	GROSS BLOCK				DEPRECIATION				NET BLOCK	
	Cost/ Valuation as at beginning of the year	Addition during the year	Deductions during the year	Cost/ Valuation at the year-end	As at the beginning of the year	On the Additions during the year	On the Deduction during the year	Total up to the Year- end	As at the Current year- end	As at the Previous year-end
<b>A. FIXED ASSETS:</b>										
1. LAND:										
a) Freehold										
b) Leasehold										
2. BUILDINGS:										
a) On Freehold Land										
b) On Leasehold Land										
c) Ownership Flats/Premises										
d) Superstructures on Land not belonging to the entity										
3. PLANT MACHINERY & EQUIPMENT										
4. VEHICLES										
5. FURNITURE, FIXTURES.										
6. OFFICE EQUIPMENT										
7. COMPUTER/ PERIPHERALS										
8. ELECTRIC INSTALLATIONS										
9. LIBRARY BOOKS										
10. TUBEWELLS & W. SUPPLY										
11. OTHER FIXED ASSETS										
<b>TOTAL OF</b>										
<b>CURRENT YEAR</b>										
<b>PREVIOUS YEAR</b>										
<b>B. CAPITAL WORK-IN- PROGRESS</b>										
<b>TOTAL</b>										
(Note to be given as to cost of assets on hire purchase included above)										



FORM OF FINANCIAL STATEMENTS  
THE LAND PORTS AUTHORITY OF INDIA  
SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT -----

		(Amount – Rs)	
SCHEDULE 9 –		Current year	Previous Year
<b><u>INVESTMENTS FROM EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS</u></b>			
1. In Government Securities			
2. Other approved Securities			
3. Shares			
4. Debentures and Bonds			
5. Subsidiaries and Joint Ventures			
6. Others (to be specified)			
<b>TOTAL</b>			

		Current year	Previous Year
SCHEDULE 10 –			
<b><u>INVESTMENTS-OTHERS</u></b>			
1. In Government Securities			
2. Other approved Securities			
3. Shares			
4. Debentures and Bonds			
5. Subsidiaries and joint Ventures			
6. Other (to be specified)			
<b>TOTAL</b>			

## FORM OF FINANCIAL STATEMENTS

## THE LAND PORTS AUTHORITY OF INDIA

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT \_\_\_\_\_

(Amount – Rs)

SCHEDULE 11 –	Current year		Previous Year	
<b><u>CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES</u></b>				
<b><u>ETC.</u></b>				
<b><u>A. CURRENT ASSETS:</u></b>				
1. <u>Inventories:</u>				
a) Stores and Spares				
b) Loose Tools				
c) Stock-in-trade				
Finished Goods				
Work-in-progress				
Raw Materials				
2. <u>Sundry Debtors:</u>				
a) Debts Outstanding for a period exceeding six months				
b) Others				
3. <u>Cash balances in hand</u> (including cheques/drafts and imprest)				
4. <u>Bank Balances:</u>				
a) <u>With Scheduled Banks:</u>				
- On Current Accounts				
- On Deposit Accounts (includes margin money)				
- On Savings Accounts				
b) <u>with non-Scheduled Banks:</u>				
- On Current Accounts				
- On Deposit Accounts				
- On Savings Accounts				
5. <u>Post Office-Savings Accounts</u>				
<b>Total (A)</b>				

FORM OF FINANCIAL STATEMENTS  
THE LAND PORTS AUTHORITY OF INDIA

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT \_\_\_\_\_

(Amount – Rs)

SCHEDULE 11-	Current Year		Previous Year	
<b>CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES ETC.</b> (Contd.)				
<b>B. LOANS, ADVANCES AND OTHER ASSETS</b>				
1. <u>Loans:</u>				
a) Staff				
b) Other Entities engaged in activities/objectives similar to that of the Entity				
c) Other(specify)				
2. <u>Advances and other amounts recoverable in cash or in kind or for value to be received :</u>				
a) On Capital Account				
b) Prepayments				
c) Others				
3. <u>Income Accrued:</u>				
a) On Investments from Earmarked/Endowment Funds				
b) On Investments – Others				
c) On Loans and Advances				
d) Others				
(includes income due unrealised-Rs.....)				
4. <u>Claims Receivable :</u>				
<b>Total (B)</b>				
<b>Total (A + B)</b>				



FORM OF FINANCIAL STATEMENTS  
THE LAND PORTS AUTHORITY OF INDIA

SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE FOR THE PERIOD/YEAR ENDED \_\_\_\_\_  
(Amount- Rs.)

SCHEDULE 12 -	Current Year	Previous Year
<b><u>INCOME FROM SALES/SERVICES</u></b>		
1) <u>Income from Sales</u>		
a) Sale of Finished Goods		
b) Sale of Raw Material		
c) Sale of Scraps		
2) <u>Income from Services</u>		
a) Labour and Processing Charges		
b) Professional/Consultancy Services		
c) Agency Commission and Brokerage		
d) Maintenance Services (Equipment/Property)		
e) Others (Specify)		
<b>TOTAL</b>		

SCHEDULE 13 -	Current Year	Previous Year
<b><u>GRANTS/SUBSIDIES</u></b> (Irrevocable Grants & Subsidies Received)		
1) Central Government		
2) State Government(s)		
3) Government Agencies		
4) Institutions/Welfare Bodies		
5) International Organisations		
6) Others (Specify)		
<b>TOTAL</b>		

SCHEDULE 14-	Current Year	Previous Year
<b><u>FEES/SUBSCRIPTIONS</u></b>		
1) Entrance Fees		
2) Annual Fees/Subscriptions		
3) Seminar/Program Fees		
4) Consultancy Fees		
5) Others (Specify)		
<b>TOTAL</b>		
Note - Accounting Policies towards each item are to be disclosed.		

SCHEDULE 15 -	Investment from Earmarked Fund		Investment - Others	
<u>INCOME FROM INVESTMENTS</u> (Income on Invest from Earmarked/Endowment Funds transferred to Funds)	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year
1) Interest				
a) On Govt. Securities				
b) Other Bonds/Debentures				
2) Dividends				
a) On Shares				
b) On Mutual Funds Securities				
3) Rents				
4) Others (Specify)				
<b>TOTAL</b>				
<b>TRANSFERRED TO EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS</b>				

FORM OF FINANCIAL STATEMENTS  
THE LAND PORTS AUTHORITY OF INDIA

SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE FOR THE PERIOD/YEAR ENDED \_\_\_\_\_

(Amount-Rs.)

SCHEDULE 16 – <u>INCOME FROM ROYALTY, PUBLICATION.</u>	Current Year	Previous Year
1) Income from Royalty		
2) Income from Publications		
3) Others (specify)		
<b>TOTAL</b>		
SCHEDULE 17 – <u>INTEREST EARNED</u>	Current Year	Previous Year
1) On Term Deposits:		
a) With Scheduled Banks		
b) With Non-Scheduled Banks		
c) With Institutions		
d) Others		
2) On Savings Accounts:		
a) With Scheduled Banks		
b) With Non-Scheduled Banks		
c) Post Office Savings Accounts		
d) Others		
3) On Loans:		
a) Employees/Staff		
b) Others		
4) Interest on Debtors and Others Receivables		
<b>TOTAL</b>		
<u>Note</u> – Tax deducted at source to be indicated		

**FORM OF FINANCIAL STATEMENTS**  
**THE LAND PORTS AUTHORITY OF INDIA**

SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE FOR THE PERIOD/YEAR ENDED \_\_\_\_\_

(Amount- Rs.)

SCHEDULE 18 –	Current Year	Previous Year
<b><u>OTHER INCOME</u></b>		
1) Profit on Sale/disposal of Assets:		
a) Owned assets		
b) Assets acquired out of grants, or received free of cost		
2) Export Incentives realized		
3) Fees for Miscellaneous Services		
4) Miscellaneous Income		
<b>TOTAL</b>		

SCHEDULE 19 –	Current Year	Previous Year
<b><u>INCREASE/DECREASE IN STOCK OF FINISHED GOODS &amp; WORK IN PROGRESS</u></b>		
a) Closing stock		
- Finished Goods		
- Works-in-progress		
b) Less: Opening Stock		
- Finished Goods		
- Works-in-progress		
<b>NET INCREASE/DECREASE [a-b]</b>		

SCHEDULE 20 –	Current Year	Previous Year
<b><u>ESTABLISHMENT EXPENSES</u></b>		
i Salaries and Wages		
ii Allowances and Bonus		
iii Contribution to Provident Fund		
iv Contribution to Other Fund (specify)		
v Staff Welfare Expenses		
vi Expenses on Employees' Retirement and Terminal Benefits		
vii Others (specify)		
<b>TOTAL</b>		



## FORM OF FINANCIAL STATEMENTS

## THE LAND PORTS AUTHORITY OF INDIA

SCHEDULES FORMING PART OF INCOME &amp; EXPENDITURE FOR THE PERIOD/YEAR ENDED \_\_\_\_\_

SCHEDULE 21 -	(Amount- Rs.)	
	Current Year	Previous Year
<b><u>OTHER ADMINISTRATIVE EXPENSES ETC.</u></b>		
a) Purchases		
b) Labour and processing expenses		
c) Cartage and Carriage Inwards		
d) Electricity and power		
e) Water Charges		
f) Insurance		
g) Repairs and maintenance		
h) Excise Duty		
i) Rent, Rates and Taxes		
j) Vehicles Running and Maintenance		
k) Postage, Telephone and Communication Charges		
l) Printing and Stationary		
m) Travelling and Conveyance Expenses		
n) Expenses on Seminar/Workshops		
o) Subscription Expenses		
p) Expenses on Fees		
q) Auditors Remuneration		
r) Hospitality Expenses		
s) Professional Charges		
t) Provision for Bad and Doubtful Debts/Advances		
u) Irrecoverable Balances Written-off		
v) Packing Charges		
w) Freight and Forwarding Expenses		
x) Distribution Expenses		
y) Advertisement and Publicity		
z) Others (specify)		
<b>TOTAL</b>		

**FORM OF FINANCIAL STATEMENTS**  
**THE LAND PORTS AUTHORITY OF INDIA**

SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE FOR THE PERIOD/YEAR ENDED \_\_\_\_\_

	(Amount- Rs.)	
SCHEDULE 22 -	Current Year	Previous Year
<b><u>EXPENDITURE ON GRANTS, SUBSIDIES ETC.</u></b>		
a) Grants given to Institutions/Organisations		
b) Subsidies given to Institutions/Organisations		
<b>TOTAL</b>		
NOTE - Name of the Entities, their Activities along with the amount of Grants/Subsidies are to be disclosed.		

	Current Year	Previous Year
SCHEDULE 23 -		
<b><u>INTEREST</u></b>		
a) On Fixed Loans		
b) On Other Loans (including Bank Charges)		
c) Others (specify)		
<b>TOTAL</b>		

## FORM OF FINANCIAL STATEMENTS

## THE LAND PORTS AUTHORITY OF INDIA

SCHEDULES FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE PERIOD ENDED \_\_\_\_\_

## SCHEDULE 24 –

**SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Illustrative)****1. ACCOUNTING CONVENTION**

The financial statements are prepared on the basis of historical cost convention, unless otherwise stated and on the accrual method of accounting.

**2. INVENTORY VALUATION**

- 2.1. Stores and Spares (including machinery spares) are valued at cost.
- 2.2. Raw materials, semi-finished goods and finished goods are valued at lower of cost and net realizable value. The costs are based on weighted average cost. Cost of finished goods and semi-finished goods is determined by considering material, labour and related overheads.

**3. INVESTMENTS**

- 3.1. Investment classified as “long term investments” are carried at cost. Provision for decline, other than temporary, is made in carrying cost of such investments.
- 3.2. Investments classified as “Current” are carried at lower of cost and fair value. Provision for shortfall on the value of such investments is made for each investment considered individually and not on a global basis.
- 3.3. Cost includes acquisition expenses like brokerage, transfer stamps.

**4. EXCISE DUTY**

Liability for excise duty in respect of goods produced by the entity, other than for exports, is accounted upon completion of manufacture and provision is made for excisable manufactured goods as at the year-end.

**5. FIXED ASSETS**

- 5.1. Fixed Assets are stated at cost of acquisition inclusive of inward freight, duties and taxes and incidental and direct expenses related to acquisition. In respect of projects involving construction, related pre-operational expenses (including interest on loans for specifies project prior to its completion), from part of the value of the assets capitalized.
- 5.2. Fixed Assets received by way of non-monetary grants, (others than towards the corpus Funds), are capitalized at values stated, by corresponding credit to Capital Reserve.

**6. DEPRECIATION**

- 6.1. Depreciation is provided on straight-line method as per rates specified in the Income-tax Act, 1961 except depreciation on cost adjustments arising on account of conversion of foreign currency liabilities for acquisition of fixed assets, which is amortized over the residual life of the respective assets.
- 6.2. In respect of additions to/deductions from fixed assets during the year, depreciation is considered on pro-rata basis.
- 6.3. Assets costing Rs. 5,000 or less each are fully provided.



## FORM OF FINANCIAL STATEMENTS

## THE LAND PORTS AUTHORITY OF INDIA

SCHEDULES FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE PERIOD ENDED \_\_\_\_\_

## SCHEDULE 24 –

**SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Illustrative) – Contd.**

7. **MISCELLANEOUS EXPENDITURE**  
Deferred revenue expenditure is written off over a period of 5 years from the year it is incurred.
8. **ACCOUNTING FOR SALES**  
Sales include excise duty and are net of sales returns, rebate and trade discount.
9. **GOVERNMENT GRANTS /SUBSIDIES**
  - 9.1. Government grants of the nature of contribution towards capital cost of setting up projects are treated as Capital Reserve.
  - 9.2. Grants in respect of specify fixed assets acquired are shown as a deduction from the cost of the related assets.
  - 9.3. Government grants/subsidy are accounted on realization basis.
10. **FOREGIN CURRENCY TRANSACTIONS**
  - 10.1. Transactions denominated in foreign currency are accounted at the exchange rate prevailing at the date of the transaction.
  - 10.2. Current assets, foreign currency loans and current liabilities are converted at the exchange rate prevailing as at the year end and the resultant gain/loss is adjusted to cost of fixed assets, if the foreign currency liability relates to fixed assets, and in other cases is considered to revenue.
11. **LEASE**  
Lease rentals are expensed with reference to lease terms.
12. **RETIREMENT BENEFITS**
  - 12.1. Liability towards gratuity payable on death/retirement of employees based on actuarial valuation.
  - 12.2. Provision for accumulated leave encashment benefit to the employees is accrued and computed on the assumption that employees are entitled to receive the benefit as at each year end.

## FORM OF FINANCIAL STATEMENTS

## THE LAND PORTS AUTHORITY OF INDIA

SCHEDULES FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE PERIOD ENDED \_\_\_\_\_

## SCHEDULE 25-

**CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS (Illustrative)****1. CONTINGENT LIABILITIES**

- 1.1 Claims against the Entity not acknowledged as debts – Rs. ----- (Previous year Rs. -----).
- 1.2 In respect of:  
 Bank guarantees given by/on behalf of the Entity-Rs -----(Previous year Rs. -----).  
 Letters of Credit opened by bank on behalf of the Entity– Rs. ----- (Previous year Rs. -----).  
 Bills discounted with banks – Rs. ----- (Previous year Rs. -----).
- 1.3 Disputed demands in respect of:  
 Income-tax Rs. -----(Previous year Rs. -----).  
 Sales-tax Rs. ----- (Previous year Rs. -----).  
 Municipal Taxes. ----- (Previous year Rs. -----).
- 1.4 In respect of claims from parties for non-execution of orders, but contested by the Entity— Rs. ----- (Previous year Rs. -----).

**2. CAPITAL COMMITMENTS**

Estimated value of contracts remaining to be executed on capital account and not provided for (net of advances) – Rs. ----- (Previous year Rs. -----).

**3. LEASE OBLIGATIONS**

Future obligations for rentals under finance lease arrangements for plant and machinery amount to – Rs. ----- (Previous year Rs. -----).

**4. CURRENT ASSETS, LOANS AND ADVANCES**

In the opinion of the Management, the current assets, loans and advances have a value on realization in the ordinary course of business, equal at least to the aggregate amount shown in the Balance Sheet.

**5. TAXATION**

In view of there being no taxable income under Income –tax Act 1961, no provision for Income tax has been considered necessary.

## FORM OF FINANCIAL STATEMENTS

## THE LAND PORTS AUTHORITY OF INDIA

SCHEDULES FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE PERIOD ENDED \_\_\_\_\_

## SCHEDULE 25-

**CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES  
ON ACCOUNTS (illustrative)- Contd.**

(Amount - Rs.)

**6. FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS**      **Current year**      **Previous year**6.1 Value of Imports Calculated on C.I.F. Basic:

- Purchase of finished Goods
- Raw Materials & Components  
(Including in transit)
- Capital Goods
- Stores, Spares and Consumables

6.2 Expenditure in foreign currency:

- a) Travel
- b) Remittances and Interest payment to  
Financial Institutions/ Banks in  
Foreign Currency
- c) Other expenditure:
  - Commission on Sales
  - Legal and Professional Expenses
  - Miscellaneous Expenses

6.3 Earnings:

Value of Exports on FOB basis

6.4 Remuneration to auditors:

As Auditors

- Taxation matters
- For Management services
- For certification
- Other

7. Corresponding figures for the previous year have been regrouped/rearranged, wherever necessary.

8. Schedules 1 to 25 are annexed to and form an integral part of the Balance Sheet as at \_\_\_\_\_ and the Income and Expenditure Account for the year ended on that date.



FORM III  
(See rule (1) of rule 13)  
FORM OF FINANCIAL STATEMENTS

THE LAND PORTS AUTHORITY OF INDIA

RECEIPTS AND PAYMENTS FOR THE PERIOD/YEAR ENDED \_\_\_\_\_

(Amount-Rs.)

RECEIPTS	Current Year	Previous Year	PAYMENTS	Current Year	Previous Year
<p>I. <u>Opening Balances</u>  a) Cash in hand  b) Bank Balances  i) In current accounts  ii) In deposit accounts  iii) Savings accounts</p> <p>II. <u>Grants Received</u>  a) From Government of India  b) From State Government  c) From other sources (details)  (Grants for capital &amp; revenue exp. to be shown separately)</p> <p>III. <u>Income on Investments from</u>  a) Earmarked/Endow. Funds  b) Own Funds (Oth. Investment)</p> <p>IV. <u>Interest Received</u>  a) On Bank deposits  b) Loans, Advances etc.</p> <p>V. <u>Other Income (Specify)</u></p> <p>VI. Amount Borrowed</p> <p>VII. Any other receipts (give details)</p>			<p>I. <u>Expenses</u>  a) Establishment Expenses (corresponding to Schedule 20)  b) Administrative Expenses (corresponding to Schedule 21)</p> <p>II. <u>Payments made against funds for various projects</u>  (Name of the fund or project should be shown along with the particulars of payments made for each project)</p> <p>III. <u>Investments and deposits made</u>  a) Out of Earmarked/Endowment funds  b) Out of Own funds (Investment-Others)</p> <p>IV. <u>Expenditure on Fixed Assets &amp; Capital Work-in-Progress</u>  a) Purchase of fixed Assets  b) Expenditure on Capital Work-in-Progress</p> <p>V. <u>Refunds of surplus money/Loans</u>  a) To the Government of India  b) To the State Government  c) To other providers of funds</p> <p>VI. <u>Finance Charges (Interest)</u></p> <p>VII. <u>Other Payments (Specify)</u></p> <p>VIII. <u>Closing Balances</u>  a) Cash in hand  b) Bank Balances  i) In current accounts  ii) In deposit accounts  iii) Savings accounts</p>		
TOTAL					



## FORM IV

(See sub-rule (2) of rule 14)

- (1) A summary of the financial results during the year.
- (2) Changes in the capital structure, long-term loans and other significant items.
- (3) Important changes in policy and major events, which influenced or affected the profitability of the Authority during the year.
- (4) Measures taken for improving the functions and profitability of the Authority.
- (5) Progress in execution of the sanctioned schemes with reference to targets.
- (6) New projects or expansion schemes contemplated together with their advantages, financial implications and programmes for execution.
- (7) An account of the activities during the financial year and of the activities, which are likely to be taken up during the next financial year.
- (8) Significant events or happenings.
- (9) Changes in the Chairperson and Members of the Authority.
- (10) Employee-employer relations, strikes etc.
- (11) Welfare activities, housing colonies, education, health facilities etc.
- (12) Statistics or Graphs.
- (13) Foreign Exchange Earnings and Expenditure for Revenue and Capital items separately.

[F. No. 13/1/2010-BADP (Volume-I)]

K. K. MITTAL, Jt. Secy.